प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़।

सेवा में,

शान्ति निकेतन वर्ल्ड स्कूल,
पंचशील कॉलोनी, निकट आई0आई0एम0टी0
क्वार्सी कोल, अलीगढ।

पत्रांक/बे0मान्यता/ 8735 /2022–23 दिनांक— 03-11-2022

विषय— नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र नम्बर ALI09129014483 और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मै शान्ति निकेतन वर्ल्ड स्कूल, पंचशील कॉलोनी निकट आई0आई0एम0टी0 क्वार्सी कोल अलीगढ को तारीख 01.11.2022 से तारीख 01.11.2023 तक एक बर्ष की अवधि के लिये औपवन्धिक रूप से कक्षा 01 से कक्षा 05 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर शासनादेश संख्या–89/अरसठ–3–2018–2041/2018 दिनांकः 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानुसार एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्वन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पष्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2—विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध–1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध–2)के उपबंधो का पालन करेगा ।

3—विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा–विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4—पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5—सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उवबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)—प्रवेष दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)— किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ।

(3)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(4)—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)—अधिनियम के उपबंध के अनुसार नि:शक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

(6)–अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा–23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे ।

(7)–अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और

(8)–अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा ।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमो को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8099 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	1288 वर्ग मीटर
क्रीडा–स्थल का क्षेत्रफल	उपलब्ध है।
कक्षाओ की संख्या	23 कक्ष
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिये कक्ष	04 कक्ष
बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय	उपलब्ध. है।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई 01	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुंच	उपलब्ध है।

अध्यापन पठन सामग्री/क्रीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की पुस्तकें उपलब्ध है।

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी ।

10–विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओ या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिये किया जाता है

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विद्यि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14–आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबधी शर्तो के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त ।

भवदीय

(सतेन्द्र कुमार)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
अलीगढ़

Form No:3263

Office of the District Basic Education Officer

ALIGARH

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL,PANCHSHEEL COLONY NEAR IIMT QUARSI KOIL ALIGARH** is provisionally recognized for Primary(class 1 to 5).The Recognition number alloted to SHANTINIKETAN WORLD SCHOOL is **ALI09129014483.**The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE	**Valid From:01-11-2022To:01-11-2023**(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	**New**
4.School Type	**Primary School(1 to 5)**
5.Recognition No.	ALI09129014483

DATE:- 01-11-2022

PLACE:- ALIGARH

District Basic Education Officer

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ

Note :This Certificate is digitally signed and downloaded copy from Portal www.premaup.in

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़।

सेवा में,

प्रबन्धक,

शान्ति निकेतन वर्ल्ड स्कूल,

पंचशील कॉलोनी निकट आई0आई0एम0टी0

क्वार्सी, कोल, अलीगढ।

पत्रांक / बे0मान्यता / 9919 /2022-23 दिनांक— 12-12-2022

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

आपके प्रार्थना पत्र नम्बर **ALI09129014495** और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं— शान्ति निकेतन वर्ल्ड स्कूल, पंचशील कॉलोनी निकट आई0आई0एम0टी0, क्वार्सी, कोल, अलीगढ को तारीख 12.12.2022 से तारीख 12.12.2023 तक एक बर्ष की अवधि के लिये औपवन्धिक रूप से कक्षा 06 से कक्षा 08 तक (अंग्रेजी माध्यम) के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। विद्यालय प्रबन्धक द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के आधार पर शासनादेश संख्या-89/अरसठ-3-2018-2041/2018 दिनांकः 11 जनवरी 2019 में निहित प्राविधानुसार एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्वन्धित नियमों/शर्तो का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान की जायेगी।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्यधीन है ।

1—मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमे किसी भी रूप मे कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संवधन करने के लिये कोई बाध्यता विवक्षित नही है।

2—विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम,2009 (उपाबंध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम,2010 (उपाबंध-2)के उपवंधो का पालन करेगा ।

3—विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति,नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधा-विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हे निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा ।

4—पैरा-3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उवबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा । ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैक खाता रखेगा ।

5—सोसइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।

6—विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उवबंधो का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा ।

(1)—प्रवेश दिए गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जाएगा ।

(2)— किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नहीं किया जाएगा ।

(3)—प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई वोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

(4)—प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा ।

(5)—अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्थ/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना ।

(6)—अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा-23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है । परन्तु यह है कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताए नहीं है पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे ।

(7)—अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो का पालन करता है, और

(8)—अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापो मे नियोजित नही करेगा ।

7–विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा ।

8–विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमो को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8099 वर्ग मीटर
कुल निर्मित क्षेत्र	1288 वर्ग मीटर
कीडा–स्थल का क्षेत्रफल	उपलब्ध है।
कक्षाओ की संख्या	08 कक्ष
प्राध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिये कक्ष	04 कक्ष
बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय	उपलब्ध है।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है।
मिड–डे–मील पकाने के लिये रसोई 01	उपलब्ध है।
बाधारहित पहुंच	उपलब्ध है।
अध्यापन पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की पुस्तकें	उपलब्ध है।

9–विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नही चलाई जाएगी ।

10–विद्यालय भवनों या अन्य सरचनाओ या कीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकाश के प्रयोजनो के लिये किया जाता है

11–विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम ,1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12–स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नही चलाया जा रहा है ।

13–विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमें के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये । प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये ।

14–आपके विद्यालय को आबंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।

15–विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशो का पालन करता है जो मान्यता संबधो शर्तो के सतत् अनुपालन का सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाए ।

16–सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए ।

17–सलंग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

भवदीय

(सतेन्द्र कुमार)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

अलीगढ़।